न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 17 / 2023

1. रामकिशोर
2. रामखिलाडी

पुत्रान हरजी जाति मीना निवासी राजगढ तहसील महवा जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश व निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 24.8.2023 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामकिशोर आदि मुकदमा नंबर 02 / 2023 अंतर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 26.3.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 24.8.2023 को ग्राम राजगढ तहसील महवा के खसरा नंबर 142 रकबा 0.04है. पर पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट अपीलांट के विरूद्ध इस आशय की पेश की गई कि ग्राम राजगढ में स्थित आराजी खसरा नंबर 142 किस्म आम रास्ता भूमि में से 0.04है. पर मकान व दींवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये इस पर दिनांक 27.4.2023 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए एवं जवाब पेश किया तथा जवाब में अतिक्रमण नहीं करने का तथ्य अकित किया व पैमाईश कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 24.8.2023 को अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक रूप से अपीलांट की गैर मौजूदगी में निर्णय पारित कर दिया व अपीलांट को बेदखल करने, व पैनल्टी के अवैध आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट ने कोई सरकारी रास्ते की भूमि पर कोई अतिचार नहीं किया है तथा साथ में अपीलांट ने यह भी अंकित किया है कि रास्ते की भूमि की पैमाईश कराई जावे परन्तु प्रार्थी की मोजूदगी में कोई पैमाइश नहीं करवाई गई बल्कि पटवारी ने गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पटवारी के बयान लिये और न ही उसकी रिपोर्ट प्रदर्शित हुई इससे यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रमाणित ही नहीं हुई है और ना ही साक्ष्य में पढे जाने योग्य है। उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा का निर्णय दिनांक 24.8.2023 निरस्त फरमाया जावे।
4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

हल्का रसीदपुर द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय सिवायक चक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नंबर 142 रकबा 0.04है. पर मकान पक्का निर्माण व चारदीवारी बनाकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का रसीदपुर द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवाय चक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नंबर खसरा नंबर 142 रकबा 0.04है. पर मकान पक्का निर्माण व चारदीवारी बनाकर अतिचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स अधीनस्थ तहसीलदार महवा के न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है कि अपीलांट ने राजकीय सिचायचक गै0मुरास्ता की भूमि पर कोई अतिचार नहीं किया गया है। पैमाइश करवाई जावे। जिस पर तहसीदलार महवा के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त रसीदपुर व पटवारी हल्का रसीदपुर को पत्र कमांकः51–52 दिनांक 28.7.2023 के द्वारा अतिक्रमियों की उपस्थिति में पैमाईश कर मौका रिपोर्ट दिनांक 10.8.2023 से पूर्व प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये जिसकी पालना में पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक रसीदपुर के द्वारा खसरा नंबर 142 किस्म गै0मु0रास्ता की भूमि का पैमाईश की गई जिसमें अपीलांट्स का गै0मु0रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण होना प्रमाणित है। तहसीलदार महवा द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया दिया जाकर राजकीय सिवायचक गै0मु0 रास्ता की भूमि की पैमाईश करवाई जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.2023 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 20[illegible] को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official